बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

पत्रांक : 10/सैनिक 6–03/2014(अंश)......308 पटना, दिनांक 09/01/2026

सेवा में,

औपचारिकरूप से परामर्शित

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

द्वारा : आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, बिहार, पटना।

विषय :**वित्तीय वर्ष 2025–26 में सैनिक स्कूल, नालंदा में अध्ययनरत बिहार के छात्रों के लिए छात्रवृति एवं पोषाहार मद में कुल 2,47,28,500/–(दो करोड़ सैंतालीस लाख अठाईस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा व्यय की विमुक्ति के संबंध में।**

आदेश : स्वीकृत।

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में सैनिक स्कूल, नालंदा में अध्ययनरत बिहार के छात्रों के लिए छात्रवृति मद में 76,03,750/–(छिहत्तर लाख तीन हजार सात सौ पचास रुपये) मात्र एवं पोषाहार मद में 1,71,24,750/–(एक करोड़ इकहतर लाख चौबीस हजार सात सौ पचास रूपये) मात्र अर्थात 2,47,28,500/–(दो करोड़ सैंतालीस लाख अठाईस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि का विकलन मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–02–माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष–110–अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष–0002–सैनिक विद्यालय, विपत्र कोड–21–2202021100002, विषय शीर्ष–0002–31–06–सहायक अनुदान गैर वेतन मद में उपबंधित राशि से होगा।

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 में संबंधित मद में 13,00,00,000.00 (तेरह करोड़ रूपये) मात्र का उपबंध है, जिसमें 6,11,34,300/– (छह करोड़ ग्यारह लाख चौतीस हजार तीन सौ रूपये) मात्र की स्वीकृति उपरांत 6,88,65,700.00 (छह करोड़ अठासी लाख पैसठ हजार सात सौ रूपये) मात्र शेष हैं।

4. CFMS के माध्यम से विहित प्रक्रिया द्वारा राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा पूर्व प्राप्ति रसीद प्राप्त करते हुए BTC-42 पर विपत्र तैयार कर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा प्राचार्य, सैनिक स्कूल, नालंदा के खाता संख्या–11384968110, IFSC Code–SBIN0018429, Branch Code-0018429, State Bank Of India, VIMS Campus Branch, Pawapuri, Nalanda में उक्त स्वीकृत राशि का अंतरण, अंतरण जमा द्वारा किया जायेगा।

5. राशि का आवंटन CFMS के माध्यम से विहित प्रक्रिया के द्वारा किया जायेगा।

6. प्राचार्य, सैनिक स्कूल, नालंदा, को उपलब्ध करायी गयी राशि का अनुश्रवण निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा किया जायेगा। उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य द्वारा ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय स्थायी आदेश संख्या–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 तथा वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों एवं अन्य पत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जायेगी।

8. स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 की कंडिका 5(ख)(ii) के निदेशानुसार निर्गत की जा रही हैं।

9. संचिका संख्या–10/सैनिक 6–03/2014(अंश) के पृष्ठ–131–132/टि० के नोट–129 पर आन्तरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति प्राप्त है।

10. संचिका संख्या–10/सैनिक 6–03/2014(अंश) के पृष्ठ–140–141/टि० के नोट–154 पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह/–
(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 10/स 6–03/2014(अंश)............ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह/–
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 10/स 6–03/2014(अंश)...308... पटना, दिनांक 09/01/2026

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अवर सचिव, सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, कमरा नं०–101 डी–1 विंग, सेना भवन, नई दिल्ली/वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–05 एवं 21/प्राचार्य, सैनिक स्कूल, नालंदा/ए0सी0–डी0सी0 कोषांग, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/IT Manager, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधितो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्राचार्य, सैनिक स्कूल, नालंदा ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगें।

उप सचिव, शिक्षा विभाग।